आदेश व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 43/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी लि॰ सी– 25, भगवानदास रोड, सेंन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बुद्दा सिंह

   पता–अ–694, विवेक विहार, श्याम नगर, जयपुर ।

   ब–ग्राम व पोस्ट –झरकाई, तहसील नदवई, जिला भरतपुर, राजस्थान

   स–विला नं॰ क्यू–48, ग्राउण्ड फ्लोर हैप्पी होम (ब्लाक–क्यू) अंशल सुशान्त सिटी, ग्राम माचवा, कालवाड रोड जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री गौरव आर्य अधिवक्ता अप्रार्थी ऋणी की ओर से।

आदेश

दिनांकः 30.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.11.2012 को भुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बुद्दा सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति विला नं॰ क्यू–48, ग्राउण्ड फ्लोर हैप्पी होम (ब्लाक–क्यू) अंशल सुशान्त सिटी, ग्राम माचवा, कालवाड रोड जयपुर क्षेत्रफल 110.50 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल 10,40,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.10.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री गौरव आर्य ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जबाब बहस हेतु और अवसर चाहा है। सरफेशी अधिनियम की धरा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता ।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी को कुल राशि 10,40,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप मे अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 9,70,453/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.10.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में भी नोटिस का प्रकाशन कराया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बुद्दा सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति विला नं॰ क्यू–48, ग्राउण्ड फ्लोर हैप्पी होम (ब्लाक–क्यू) अंशल सुशान्त सिटी, ग्राम गाचवा, कालवाड रोड जयपुर क्षेत्रफल 110.50 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर